# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या—1581/2011/पाली

...अपीलार्थी

1. मै० मरूधर फूड्स प्रा० लि०, सुमेरपुर, पाली। बनाम सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त, वाणिज्यिक कर विभाग, पाली।

...प्रत्यर्थी अपील संख्या—2010/2011/पाली

 सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त, वाणिज्यिक कर विभाग, पाली। बनाम
 मै० मरुधर फूड्स प्रा० लि०, सुमेरपुर, पाली।

.....अपीलार्थी

.....प्रत्यर्थी

## एकलपीठ श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. के. पारीक अभिभाषक श्री डी. पी. ओझा उप राजकीय अभिभाषक

...अपीलार्थी की ओर से

...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 07.04.2017

### निर्णय

- 1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील सं. 1581/2011 उपायुक्त (अपील्स), जोधपुर द्वितीय (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दि. 07. 03.2011 डिस्पेच दिनांक 17.03.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त विशेष वृत्त, पाली (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 24 के अन्तर्गत वर्ष 2006—07 के लिए पारित आदेश दिनांक 23.03.2009 जिसके द्वारा रिवर्स कर रूपये 1,04,905/—, ब्याज रूपये 76,110/— व शास्ति रूपये 2,11,810/— कुल रूपये 3,92,825/— की मांग कायम की थी, को चुनौती दी थी जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी की अपील आंशिक स्वीकार करते हुए रिवर्स कर व ब्याज को यथावत रखा है तथा शास्ति रूपये 2,11,810/— को अपास्त किया है। अपील सं. 2010/2011 राजस्व की ओर से अपीलीय अधिकारी के उपरोक्त निर्णय दिनांक 07.03.11 के विरुद्ध शास्ति अपास्त करने के बिन्दु पर प्रस्तुत की गई है तथा शास्ति यथावत रखने हेतु निवेदन किया गया है।
- 2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि व्यवहारी ने मैसर्स रामदेव ट्रेडिंग कम्पनी फलौदी से क्रय किये गये तिलहन राशि रूपये 66,52,822.85/— पर अदा किये गये कर के पेटे आईटीसी रूपये 1,04,904.79/— व मैसर्स बिश्नोई ट्रेडिंग कम्पनी फलौदी से क्रय किये गये तिलहन राशि रूपये 3,19,928/— पर अदा किये गये कर के पेटे आईटीसी रूपये 12,897.12/— कुल आईटीसी रूपये 1,17,801.01/— क्लेम किया। कर निर्धारण अधिकारी रूण

लगातार.....2

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, विशेष वृत्त, पाली ने अपने कर निर्धारण आदेश दिनांक 23. 03.2009 द्वारा मैसर्स रामदेव ट्रेडिंग कम्पनी फलौदी से क्रय किये गये सामान पर इनपुट टैक्स इस आधार पर खारिज कर दिया कि उक्त व्यवहारी की फर्म बोगस/फाल्स है और उसका पंजीयन प्रमाण पत्र विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2006 से ही निरस्त कर दिये गये है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपने उपरोक्त आदेश दिनांक 23.03.2009 द्वारा मै. रामदेव ट्रेडिंग कम्पनी फलौदी के संबंध में किये गये व्यवहार से संबंधित रिवर्स टैक्स रूपये 1,04,904.79/-, ब्याज रूपये 35,520 / – व शास्ति रूपये 2,09,810 / – आरोपित की व साथ ही नोटिस जारी करने पर जानबूझकर अनुपस्थित रहने के कारण धारा 64 के अन्तर्गत राशि रू. 2000/-शास्ति, करदाता द्वारा देय कर राशि देरी से तथा देय कर रू. 40,181/- कम जमा कराने के कारण अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज 40,590 / - रू. आरोपित किया। व्यवहारी ने अधीनस्थ न्यायालय उपायुक्त (अपील्स), जोधपुर द्वितीय के न्यायालय में प्रथम अपील दायर की जिसमें अपीलाधीन निर्णय द्वारा रिवर्स टैक्स एवं ब्याज यथावत रखते हुए शास्ति अपास्त की है। व्यवहारी ने कर बोर्ड के समक्ष द्वितीय अपील सं. 1581/2011 द्वारा रिवर्स टैक्स व ब्याज से संबंधित बिन्दु को चुनौति देकर इसे निरस्त कर इनपुट टैक्स क्रेडिट देने हेतु अनुतोष चाहा है। राजस्व की ओर से अपील सं. 2010/2011 अपीलीय अधिकारी के उपरोक्त निर्णय दिनांक 07.03.11 के विरुद्ध शास्ति अपास्त करने के बिन्दु पर प्रस्तुत की गई है तथा शास्ति यथावत रखने हेतु निवेदन किया गया है।

- 3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
- 4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके द्वारा की गई खरीद वास्तविक थी तथा उसके संबंध में व्यवसायी द्वारा समस्त दस्तावेज विभाग में प्रस्तुत कर दिये गये थे। निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त खरीद को मिथ्या सिद्ध करने हेतु किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई। अपीलार्थी द्वारा क्रय की गई खरीद के समय उक्त फर्म पंजीकृत थी। पुनश्च उक्त फर्म द्वारा कर की अदायगी न किये जाने में अपीलार्थी का कोई दोष नहीं है, अतः मात्र इस आधार पर अपीलार्थी द्वारा चुकाये गये कर का आगत कर समायोजन अस्वीकृत किया जाना विधिसम्मत एवम् प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं है। उक्त क्रय से संबंधित दस्तावेज पूर्व में ही निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश कर दिये गये।
- 5. विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने निवेदन किया कि अधिनियम की धारा 18(2) के अनुसार व्यवहारी को आई0टी0सी0 क्लेम नहीं दिया जा सकता है क्योंकि व्यवहारी द्वारा जिस फर्म से माल क्रय किया गया है उस फर्म ने राजकोष में प्राप्त कर राशि जमा नहीं कराई है, जिससे व्यवहारी का आगत कर समायोजन किया जाना उचित नहीं है। इन्होने यह भी कथन किया कि मैसर्स रामदेव ट्रेडिंग कम्पनी फलौदी द्वारा जारी इनवोइस

फर्जी थे तथा वास्तव में क्रय विक्रय नहीं किया गया था जिससे अधिनियम की धारा 61(2) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित किया जाना विधिसम्मत है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इसके अपास्त करना विधिसम्मत नहीं है। अतः शास्ति यथावत रखी जावें।

- 6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार हैं :--
- 7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी ने मैसर्स रामदेव ट्रेडिंग कम्पनी फलौदी से क्रय किये गये तिलहन राशि रूपये 66,52,822.85/— पर अदा किये गये कर के पेटे आईटीसी रूपये 1,04,904.79/— व मैसर्स बिश्नोई ट्रेडिंग कम्पनी फलौदी से क्रय किये गये तिलहन राशि रूपये 3,19,928/— पर अदा किये गये कर के पेटे आईटीसी रूपये 12,897.12/— कुल आईटीसी रूपये 1,17,801.01/— क्लेम किया। कर निर्धारण अधिकारी सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, विशेष वृत्त, पाली ने अपने कर निर्धारण आदेश दिनांक 23. 03.2009 द्वारा मैसर्स रामदेव ट्रेडिंग कम्पनी फलौदी से क्रय किये गये सामान पर इनपुट टैक्स इस आधार पर खारिज कर दिया कि उक्त व्यवहारी की फर्म बोगस/फाल्स है और उसका पंजीयन प्रमाण पत्र विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2006 से ही निरस्त कर दिये गये है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपने उपरोक्त आदेश दिनांक 23.03.2009 द्वारा मै. रामदेव ट्रेडिंग कम्पनी फलौदी के संबंध में किये गये व्यवहार से संबंधित रिवर्स टैक्स रूपये 1,04,904.79/—, ब्याज रूपये 35,520/— व शास्ति रूपये 2,09,810/— आरोपित की व साथ ही नोटिस जारी करने पर जानबूझकर अनुपस्थित रहने के कारण धारा 64 के अन्तर्गत राशि रू. 2000/— शास्ति, करदाता द्वारा देय कर राशि देरी से तथा देय कर रू. 40,181/— कम जमा कराने के कारण अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज 40,590/— रू. आरोपित किया।
- 8. आलौच्य अविधयों में जिन तथाकथित विक्रेता व्यवहारियों से क्रय किये गये माल की राशि पर देय वेट का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है, उनकी जांच में उक्त फर्में या तो अस्तित्व में नहीं पायी गयी अथवा उनका पंजीयन प्रमाण—पत्र भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त किया जाना पाया गया। वेट अधिनियम की धारा 18(2) के तहत आई.टी.सी. का क्लेम तभी स्वीकृत किया जा सकता है, जबिक इस पेटे देय कर राजकोष में जमा हो चुका हो एवं यह प्रमाणित करने का दायित्व व्यवहारी का है कि देय कर राजकोष में जमा हो चुका है। प्रत्यर्थी व्यवहारी खरीदे गये माल पर कर चुकाये जाने के सबूत के भार का निर्वहन करने में असफल रहा है।
- 9. हस्तगत प्रकरण में विवाद का बिन्दु यह है कि क्या किसी क्रेता व्यवहारी की खरीद पर क्लेम की गई आई.टी.सी. के दावे को विक्रेता व्यवहारी द्वारा बिक्री पर कर जमा नहीं कराये जाने तथा बिक्री संव्यवहार वास्तविक (Genuine) नहीं होने की स्थिति में स्वीकार किया जाने योग्य है अथवा अस्वीकार किये जाने योग्य है ?

10. आई.टी.सी. क्लेम के संबंध में धारा 10 जो निम्न प्रकार है :--

## धारा 10. Burden of proof. -

The burden of proving that any sale or purchase effected by any person is not liable to tax for any reason under this Act or to prove for entitlement of input tax credit on any purchases, shall be on such person.

- के विधिक प्रावधान से यह स्पष्ट है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के लिए क्रय-विक्रय को प्रमाणित करने का दायित्व संबंधित पक्षकार का है।
- 11. Input Tax Credit क्लेम करने के संबंध में अधिनियम की धारा 18 (2),(3) निम्न प्रकार है :--

#### 18. Input Tax Credit. -

- (1) .....
- (2)The claim of input tax credit shall be allowed on the tax deposited on the basis of original VAT invoice within three months from the date of issuance of such invoice. However, claim of input tax credit of the additional tax deposited may be allowed on the basis of VAT invoice which has been issued subsequently in compliance with the decision of any competent court or authority, showing the tax at higher rate. If the first original VAT invoice is lost, input tax credit may be allowed on the basis of a duplicate copy thereof, subject to such conditions as may be prescribed. (This amended provision has been substituted in section 18(2) of the original Act vide The Rajasthan Value Added Tax (Amendment Bill 2009) Bill no. 8 of 2009 which has given retrospective effect from 01-04-06)
- (3) Notwithstanding anything contained in this Act, no input tax credit shall be allowed on the purchases –
- (i) from a registered dealer who is liable to pay tax under sub-section (2) of section 3 or who has opted to pay tax under section 5 of this Act; or
- (ii)of goods made in the course of import from outside the State; or
- (iii) where the original VAT invoice or duplicate copy thereof is not available with the claimant, or there is evidence that the same has not been issued by the selling registered dealer from whom the goods are purported to have been purchased; or
- (iv) of goods where invoice does not show the amount of tax separately; or
  (v) where the purchasing dealer fails to prove the genuineness of the purchase transaction, on being asked to do so by an officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorised by the Commissioner.
- 12. कार्यालय सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त ब, जोधपुर के पत्र क्रमांक स. आ. /ब / 2006 / 312 दिनांक 02.11.2006 जो कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 425 पर अवलोकनीय है तथा सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग वृत सुमेरपुर को सम्बोधित है में कहा गया है कि मैं. रामदेव ट्रेडिंग कम्पनी फलौदी व मै. राकेश ट्रेडिंग कम्पनी

फलौदी नामक फर्मों ने प्रारम्भिक स्टॉक शून्य होते हुए वर्ष 2006—07 के प्रथम त्रैमास के प्रस्तुत रिटर्न वेट—10 में विक्रय एवं क्रय घोषित कर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था जिसके संबंध में घोषित विक्रेता व्यवहारियों के संव्यवहारों का सत्यापन बीकानेर, गंगानगर, पाली, जोधपुर संभाग के संबंधित वृत्त अधिकारियों द्वारा किये जाने पर पाया गया कि उक्त दोनों फर्मों ने फर्जी क्रय बताकर विक्रय के VAT Invoice जारी किये हैं। अतः आपके वृत्त में यदि किसी व्यवहारी ने उक्त दोनों व्यवहारियों से माल (मुख्यतः ग्वार, चना, तिलहन, अनाज आदि) खरीदा है तो उन्हे ITC स्वीकृत नहीं करावें। कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के पृष्ट संख्या 426 पर सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत्त ब, जोधपुर के आदेश दिनांक 06.01.2007 की प्रति भी अवलोकनीय है जिसके द्वारा मै. रामदेव ट्रेडिंग कम्पनी फलौदी का पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 01.04.06 से इस आधार पर निरस्त किया है कि फर्म द्वारा झुढे/कूटरचित को नोटिस VAT Invoice जारी किये है तथा बिलों में वसूल किया गया VAT राजकोष में जमा नहीं करया है तथा फर्म को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत भी कोई जवाब या स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया।

- 13. उपरोक्त विधिक प्रावधानों एवं तथ्यों से यह स्पष्ट है कि व्यवहारी को आई.टी.सी. क्लेम तभी स्वीकृत किया जा सकता है, जबिक इस पेटे देय कर राजकोष में जमा हो चुका हो। प्रस्तुत प्रकरण में यह स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा जिन विक्रेता व्यवहारियों से माल क्रय किया जाना दर्शाया गया है, वे अस्तित्वहीन हैं व केवल 'बिल ट्रेड' करके Paper Transaction घोषित किये हैं। विक्रेता फर्म द्वारा टैक्स जमा नहीं करवाया गया है जिससे इसके पेटे इनपुट टैक्स दिया जाना विधिसम्मत नहीं है। अतः व्यवहारी धारा 18(2) व (3) के तहत आई.टी.सी. क्लेम का अधिकारी नहीं रहता है।
- 14. इसी प्रकार Non-Obstante Clause के सम्बन्ध में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की फुल बैंच के निर्णय (2006) 148 एस.टी.सी. 356 भदौरिया ग्राम सेवा संस्थान बनाम सहायक आयुक्त, सेल्स टैक्स, इलाहाबाद व अन्य में निम्न मत प्रतिपादित किया गया है :-

"Having given our anxious considerations to the various submissions made by the learned counsel for the parties, we find that Section 7-D which provides for composition of tax liability, starts with a non-obstante clause. A plain reading of Section 7-D of the Act shows that an option has been given to a dealer who is covered by a scheme issued by the State Government from time to time to opt for payment of lump sum amount in lieu of the amount of tax. It excludes the applicability of other provisions of the Act which deals with the assessment and payment of tax. A non-obstante clause, as observed by the Apex Court in the case of State of Bihar v. Bihar M.S.K.K. Mahasangh and others, AIR 2005 SC 1605, is generally appended to a section with a view to give the enacting part of the section, in case of a conflict, an overriding effect over the provision in the same or other Act mentioned in the non-obstante clause. It is equivalent to saying that in spite of the provisions or Act mentioned in the non-

obstante clause, the provision following it will have its full operation or the provisions embraced in the non-obstante clause will not be an impediment for the operation of the enactment or the provision in which the non-obstante clause occurs.

15. माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय ने पंजीयन प्रमाण—पत्र के सन्दर्भ में न्यायिक दृष्टान्त (1965) 16 एस.टी.सी. 271 (उड़ीसा) नौरंगलाल अग्रवाल बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा में निम्न निर्णय पारित किया गया है :--

"Even as regards proprietary interest it was held as early as 1899 in Prosunno Coomar Roy v. The Secretary of State for India in Council, that any conduct of a Government servant in violation of his duty, will not operate as estoppels against Government. This principle has been followed in Secretary of State for India v. Faredoon Jijibhai Divecha 5, where it was held that the mistaken interpretation of a grant by officers of Government and the consequent mistaken acts would not operate as estoppels as against the Crown. Here, it has been found as a fact that persons who had no business at all succeeded in obtaining certificates of registration from the Sales Tax Authorities either due to the negligence or with the connivance of the Sales Tax Authorities and hence the grant of certificates of registration to them should be held to have been made by mistake. The Sales Tax Authorities had no jurisdiction to grant such certificates to fictitious persons or to persons who had no business. Hence though these persons may technically be said to be holders of registration certificates, nevertheless, in the eye of law, they cannot be held to be registered dealers because they have not been "validly" registered under the provisions of the Act and any mistake committed by the subordinate officers of the Sales Tax Department either due to negligence or due to collusion, cannot, on general principles, operate as estoppels against Government.

16. इस सम्बन्ध में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त (2013) 66 वी.एस. टी. 75 यू.एस.ए. एजेंसीज व अन्य बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी अत्तुर (ग्रामीण) में निम्न निष्कर्ष दिया है :-

"After extracting the quote from "Maxwell on The Interpretation of Statutes", 10th Edition at page 381 and observing that it is for the Court to ascertain the real intention of the Legislature by carefully examining the scope of Statute, in AIR 1961 SC 751 [State of U.P. and others v. Babu Ram Upadhya], the Hon'ble Supreme Court held as under:-

"29. The relevant rules of interpretation may be briefly stated thus: When a statute uses the word 'shall', prima facie, it is mandatory, but the Court may ascertain the real intention of the legislature by carefully attending to the whole scope of the statute. For ascertaining the real intention of the Legislature the Court may consider, inter alia, the nature and the design of the statute, and the consequences which would follow from construing it the one way or the other, the impact of other provisions whereby the necessity of complying with the provisions in question is avoided, the circumstance, namely, that the statute provides for a contingency of the non-compliance with the

provisions, the fact that the non-compliance with the provisions is or is not visited by some penalty, the serious or trivial consequences that flow therefrom, and, above all, whether the object of the legislation will be defeated or furthered."

- 17. इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने का अधिकार निहित अधिकार या अलोप्य अधिकार नहीं है, लेकिन अधिनियम के अधीन एक प्रदत्त लाभ है जो विशेष संभाव्यता या विशेष शर्तों के अधीन प्रदत्त किया जाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे का अधिकार पंजीकृत व्यवहारियों को निरपेक्ष प्रदत्त व अलोप्य अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- 18. यह (इनपुट टैक्स क्रेडिट) वास्तव में एक लाभ या अनुग्रह है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के रियायती प्रावधानों का अर्थ बहुत कठोरता से लगाया जाना चाहिये। विधि का सुरथापित नियम है कि कोई व्यक्ति जो मुक्ति या रियायती दर का दावा करता है, के द्वारा आज्ञापक विधिक अपेक्षायें यथावत पूर्ति की जानी चाहिये। इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ का प्रयोग करने की रियायती अन्ततोगत्वा उपभोक्ता पर Cascading effect of tax burden में कमी के लिये दिया गया है। मूल्य परिवर्धित कर ढांचे का उद्देश्य प्रक्रिया का सरलीकरण करके तथा अधिक पारदर्शी व्यवस्था करते हुए राजस्व में वृद्धि करने का रहा है।
- 19. इस सन्दर्भ में विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा उद्धरित माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 65 वी.एस.टी.सी. 260 जायम एण्ड कम्पनी बनाम सहायक आयुक्त (सी.टी.) में पैरा 20 में वेट लागू करने की अवधारणा का उल्लेख निम्न प्रकार है :-

"....The White Paper circulated by the Empowered Committee of State Finance Ministers furnished the following rationale for the introduction of VAT:

"In the existing sales tax structure, there are problems of double taxation of commodities and multiplicity of taxes, resulting in a cascading tax burden. For instance, in the exiting structure, before a commodity is produced, inputs are first taxed, and then after the commodity is produced with input-tax load, output is taxed again. This causes an unfair double taxation with cascading effects. In the VAT, a set-off is given for input tax as well as tax paid on previous purchases. In the prevailing sales tax structure, there is in several States also a multiplicity of taxes, such as turnover tax, surcharge on sales tax, additional surcharge, etc. With introduction of VAT, these other taxes will be abolished. In addition, Central sales tax is also going to be phased out. As a result, overall tax burden will be rationalised, and prices in general will also fall. Moreover, VAT will replace the existing system of inspection by a system of built-in self-assessment by the dealers and auditing. The tax structure will become simple and more transparent. That will improve tax compliance and also augment revenue growth. Thus, to repeat, with the introduction of VAT, benefits will be as follows:

	Û	a	set-off	will	be	given	for	input	tax	as	well	as	tax	paid	on	previous
purchases																

em

Û other taxes, such as turnover tax, surcharge, additional surcharge, etc., will be abolished.

Û overall tax burden will be rationalised.

- Û prices will be self-assessment by dealers
- Û transparency will increase
- Û there will be higher revenue growth"

In order to examine the controversy raised in these writ petitions and to test the validity of the impugned provision, a birds eye view of the design of the VAT Act, its concept, coverage, the compulsory requirement to be complied with and other relevant details has to be looked into."

".....Therefore, the net effect of the VAT system is to rationalise the tax burden and bring down in general the price level, stop the tax rate war, and with a view to bring in simplicity and transparency in the tax structure thereby improving the tax compliance and eventually to ensure growth the revenue. The above in broad terms is the concept of VAT."

"Input tax credit", which is in the nature of the concession or indulgence, could be availed only in the manner prescribed under Section 19. The law is well settled that the person, who claims exemption or concessional rate, must obey and fulfil the mandatory requirements exactly. Unless there is strict compliance with the provisions of the statute, the registered dealer is not entitled to claim input tax credit.

20. माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त (2014) 76 वी.एस.टी. 451 (गुजरात) मैसर्स श्रीजी इम्पेक्स बनाम स्टेट ऑफ गुजरात व अन्य में आई.टी.सी. के सम्बन्ध में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-

"The claim of input-tax credit on the alleged purchase made by the appellant-dealer from vendors was rejected by the assessing authority considering the fact that the registration of the vendors from whom the appellant claimed to have purchased the goods was cancelled. The assessing officer held that that the appellant failed to prove the actual movement of the goods from the vendors to the appellant. Appeal filed before the first appellate authority was dismissed and the Tribunal dismissed the appeal filed before it confirming the orders passed by both the authorities below denying the input-tax credit. On further appeal:

Held, dismissing the appeal, that input-tax credit was not denied solely on the ground that the registrastion of the vendors was cancelled. The appellant relied upon the invoices/bills and its books of profit and loss in support of the claim that it actually purchased the goods from L and three other vendors. Not a single document and/or material was placed on record to show the actual movement of the goods from the vendors to the appellant. The appellant miserably failed to prove the actual transaction by leading the cogent evidence and miserably failed to prove that purchases on which input-tax credit was claimed, were genuine and/or on which the tax was paid. There were concurrent findings of fact given by all the authorities below that the alleged transactions were not genuine and it was only billing activities for the purpose of claiming input-tax credit, etc. The aforesaid findings of facts by all the authorities below were on appreciation of evidence and the material on record which were neither perverse nor contrary to the evidence on record. Therefore no error had been committed by any of the authorities below denying the input-tax credit."

- 21. इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्तों में व्यवस्था दी गयी है कि –
  - (1) [2014] 73 VST 489 (Guj) Karnavati Ispat Pvt. Ltd. vs. State of Gujarat and Another

VALUE ADDED TAX-INPUT-TAX CREDIT-DENIAL ON GROUND OF CAN-CELLATION OF REGISTRATION OF SELLING DEALER AB INTIO-SELLING DEALER FOUND NOT TO BE CARRYING ON GENUINE PURHASE AND SALE BUT ONLY DOING BILLING-DENIAL OF INPUT-TAX CREDIT JUSTIFIED-GUJARAT VALUE ADDED TAX ACT, 2003.

The assessing officer denied the input-tax credit claimed by the appellant-dealer on the goods purchased on the ground that the registration of the selling dealer was cancelled ab initio because it was only billing and did not carry out any genuine transactions of sale and purchase. The order denying input-tax credit and levy of interest thereon was confirmed by the Tribunal while remanding the matter to the assessing officer in respect of the levy of penalty at the highest limit. On appeal:

Held, dismissing the appeal, that the order of the Tribunal was justified.

(2) [2014] 73 VST 129 (Tel. and AP) Vijaya Venkata Durga Oil Traders vs. Commercial Taxes Officer, Sivalayam Street Circle, Vijayawada I Division, Vijayawada and Another

VALUE ADDED TAX-WRITS UNDER CONSTITUTION-INPUT-TAX CREDIT-DEALER PURCHASING EDIBLE OILS FROM OUTSIDE STATE AND SELLING THEM TO DEALERS WITHIN STATE-INTER-STATE PURCHASES SUPPRESSED AND DOCUMENTS CREATED TO ESTABLISH LOCAL PURCHASES-SELLING DEALERS FOUND NOT CARRYING ON BUSINESS-WHERE-ABOUTS OF PROPRIETORS NOT KNOWN -TAX INVOICES SHOWING GOODS NOT PURCHASED DIRECTLY FROM THOSE DEALERS BUT THROUGH AGENTS AT P-TAX INVOICES NOT SHOWING BRANCH OF SELLING DEALERS AT P-PAYMENT MADE NOT AT REGISTRED PLACE OF BUSINESS OF SELLING DEALERS BUT TO BRANCH ACCOUNT AT P-CONCLUSION THAT DEALERS HAD NOT SUPPLIED GOODS TO DEALER NOR MADE PAYMENT TO THEM AND TRANSACTIONS WERE CREATED ONLY TO CLAIM BENEFIT OF INPUT-TAX CREDIT-CONCLUSION NEITHER BASED ON NO EVIDENCE NOR FINDINGS PERVERSE-COURT WILL NOT INTERFERE IN WRIT JURISDICTION-CONSTITUTION OF INDIA, ART 226-ANDHRA PRADESH VALUE ADDED TAX ACT (5 of 2005), SS. 13(1), 21(3), (5)-ANDHRA PRADESH VALUE ADDED TAX RULES, 2005, r. 25.

VALUE ADDED TAX-INPUT-TAX CREDIT-TAX INVOICE-DOES NOT PRECLUDE POWER OF ASSESSING AUTHORITY TO ASCERTAIN WHETHER TRANSACTIONS GENUINE-IF ON ENQUIRY NO SALE FOUND TO HAVE TAKEN PLACE OR TAX INVOICE FOUND NOT ISSUED BY DEALER OR NO PHYSICAL DELIVERY OF GOODS FOUND OR INTER-STATE PURCHASES FOUND SUPPRESSED AND BOGUS TAX INVOICES RAISED-ASSESSING OFFICER MAY DENY INPUT-TAX CREDIT-ANDHRA PRADESH VALUE ADDED TAX ACT (5 of 2005), S. 13.

ASSESSMENT-LIMITATION-EXTENDED PERIOD IN CASE OF WILFUL EVASION OF TAX-ALLEGATIONS IN SHOW-CAUSE NOTICE AND FINDINGS RECORDED IN ASSESSMENT ORDER MUST ESTABLISH WILFUL EVASION-ANDHRA PRADESH VALUE ADDED TAX ACT (5 of 2005), SS. 13(1), 21(3), (5)-ANDHRA PRADESH VALUE ADDED TAX RULES, 2005.

NATURAL JUSTICE-PRINCIPLES OF-AUDI ALTERAM PARTEM-WHEN OPPORTUNITY TO CROSS-EXAMINE WITNESSES TO BE GRANTED.

WRITS UNDER CONSTITUTION-NATURE OF JURISDICTION OF COURT-NOT APPELLATE-COURT WILL. NOT DISTURB FINDINGS OF FACT-CONSTITUTION OF INDIA, art. 226.

## (5) [2014] 72 VST 318 (Guj) Madhav Steel Corporation vs. State of Gujarat

- (ii) That the dealer had failed to satisfy the court as to the genuineness of the sale transactions or purchases made from B and M by leading evidence or prove on the basis of the documents on record that there was movement of goods. Even the vendors B and M had also failed to prove their purchases and no goods were available with them which could have been sold to the dealers and in fact there was no physical movement of the goods. The onus to prove the genuineness of the purchase was on the dealer. The onus to prove the genuineness of the vendor from whom the dealer made purchases was also on the dealer. The assessing officer and the Tribunal had rightly rejected the claim to input-tax credit claimed under section 11 of the Act.
- 22. उपरोक्त समस्त तथ्यात्मक एवं विधिक विवेचना के पश्चात यह निष्कर्षित किया जाता है। कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के विक्रय संव्यवहार फर्जी हैं। विक्रेता ने कर जमा नहीं कराया है। विक्रेता का पंजीकरण निरस्त किया जा चुका है। अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आई.टी.सी. का दावा स्वीकार करने योग्य नहीं है तथा कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी द्वारा रिवर्स टैक्स व ब्याज आरोपित किया जाना विधिसम्मत है। माननीय राजस्थान कर बोर्ड अजमेर की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 2381/2008 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त बी, बीकानेर बनाम मै० रवि ट्रेडर्स बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.09.16 में भी कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को यथावत रखा है जिसमें भी व्यवहारी द्वारा मै. रामदेव ट्रेडिंग कम्पनी फलौदी से किये गए संव्यवहार पर इसी आधार पर इनुपुट टैक्स क्लेम स्वीकार नहीं किया है कि मै. रामदेव ट्रेडिंग कम्पनी फलौदी ने फर्जी वेट इनवोईस जारी किये है।
- 23. जहां तक शास्ति का बिन्दु है, उपरोक्त पैरा सं. 8 से यह स्पष्ट है कि विक्रेता फर्म व रामदेव ट्रेडिंग कम्पनी, फलौदी द्वारा किये गये संव्यवहार फर्जी थे तथा फर्जी वेट इनवोइस जारी किये गये है तथा फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र भी इसी आधार पर निरस्त कर दिया गया था। इस संबंध में राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम 2003 की धारा 61(2) का उल्लेख करना समीचीन होगा :--

#### 61. Penalty for avoidance or evasion of tax. -

- (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any dealer has availed input tax credit wrongly, the assessing authority or any other officer not below the rank of an Assistant Commercial Taxes Officer as may be authorised by the Commissioner shall reverse such credit of input tax and shall impose on such dealer—
  - (a) in case such credit is availed on the basis of false or forged VAT invoices, a penalty equal to four times of the amount of such wrong credit; and
  - (b) in other cases, a penalty equal to double the amount of such wrong credit.

उपरोक्त विधिक प्रावधान से यह स्पष्ट है कि यदि input tax कूटरिवत वेट इनवोईस से लिया जाता है तो गलत रूप से लिये गये input tax credit की चार गुना शास्ति आरोपित की जा सकती हैं व अन्य प्रकरणों में दो गुना शास्ति आरोपित की जा सकती है। व्यवहारी द्वारा VAT invoices ऐसी फर्म से लिया जाना पाया गया है जो फर्जी थी। इस

प्रकार ऐसे प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी ने दो गुना शास्ति आरोपित की है हालांकि चारगुना शास्ति आरोपित की जा सकती थी परन्तु चूंकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दो गुना शास्ति को आरोपित करने के निर्णय को राजस्व की ओर से चुनौति नहीं दी गई है अतः न्यायालय अब इस स्तर पर शास्ति की वृद्धि के संबंध में कोई आदेश दिया जाना उचित नहीं समझता है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने शास्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय (2010) 26 टैक्स अपडेट पेज 1 मै. श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 21.04.09 के आधार अपास्त की है तथा यह माना है कि इस न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में चूंकि व्यवहारी द्वारा अपने लेखों में सम्पूर्ण संव्यवहार प्रदर्शित किया हुआ था जिससे व्यवहारी का इस संबंध में कोई दोष नहीं माना जा सकता। इस न्यायालय की विनम्रमतानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह दृष्टांत इस प्रकरण में लागू नहीं होता क्योंकि न्यायिक दृष्टांत में संबंधित फर्म ने समस्त संव्यवहार अपने लेखों में प्रदर्शित किया हुआ था परन्तु कुछ आईटम टर्न ओवर में उल्लेखित नहीं थे तथा विवाद इस बिन्दु पर था कि व्यवहारी द्वारा Wet grinder का विक्रय किया जा रहा है या उनके पार्ट्स का। राजस्व की ओर से तथ्यों के परीक्षण के आधार पर यह माना था कि व्यवहारी द्वारा Wet grinder का विक्रय किया जा रहा है न कि उनके पार्ट्स का। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकरण में शास्ति लगाने को इस आधार पर अपास्त किया है कि व्यवहारी ने अपने लेखों में इन वस्तुओं को उल्लेख किया हुआ है। विचाराधीन अपील में यह बिन्दु विवादित नहीं है कि कोई वस्तु कर योग्य है या नहीं या कितना कर देय है या टर्नओवर में शामिल है या नहीं व न ही व्यवहारी के लेखों में उल्लेख होने या ना होने का कोई विवाद है बल्कि मुख्य विवाद यह है कि व्यवहारी ने जिस फर्म से माल क्रय करना बताया है, कर निर्धारण अधिकारियों ने अपनी जांच में उसे फर्जी पाया है। इस प्रकार जब फर्म ही फर्जी पाई गई है तो उसके द्वारा जारी VAT invoices सही नहीं माने जा सकतें तथा व्यवहारी ऐसी फर्म द्वारा जारी VAT invoices के आधार पर इनपुट टैक्स क्लेम करना सदभाविक नहीं माना जा सकता। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर, ब्याज व शास्ति आरोपित किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति अपास्त किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

24. फलतः व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 1581/2011 अस्वीकार की जाती है तथा राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील सं. 2010/2011 स्वीकार की जाती है तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी उपायुक्त (अपील्स) जोधपुर द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.03.2011 शास्ति की सीमा तक अपास्त किया जाता है तथा शेष आदेश यथावत रखा जाता है एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 23.03.2009 की पुष्टि की जाती है।

25. निर्णय सुनाया गया।

न्द्रश्रूथाम ) सदस्य